संवाद० - 188   स्टाम्प टिकट - 8.50/रु०

न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्रथम श्रेणी, खैर, अलीगढ़।

वाद संख्या T20171826011332   अर्न्तगत धारा– 80–राज0संहिता–2006

मौजा –सुजानपुर   परगना खैर तह0खैर जिला अलीगढ़।

अभिषेक भरद्वाज   बनाम   सरकार

अन्तिम आदेश

प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत प्रार्थी अभिषेक भरद्वाज पुत्र बृजमोहन निवासी सुजानपुर परगना खैर तहसील खैर जिला अलीगढ़ के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार खैर की जॉच आख्या दिनांक 08.06.2017 के आधार पर योजित हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम सुजानपुर के खाता सं0 685 गाटा सं0 544अ रकवा 2.064है0 लगानी 18.95 रूपये मे से 0.962है0 भूमि हैं। उक्त गाटा में कोई कृषि कार्य आदि नही हो रहा है। उक्त भूमि में कुक्कट पालन व मत्स्य पालन व बागवानी के प्रयोग में नहीं आ रही हैं जिसे व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं।

उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार खैर ने अपनी आख्या दि0 08.06.2017 प्रस्तुत की है जिसमें उल्लेख किया गया हैं कि ग्राम सुजानपुर के खाता सं0 685 गाटा सं0 544अ रकवा 2.064है0 लगानी 18.95 रूपये मे से 0.962है0 भूमि हैं। प्रार्थी के द्वारा मौके पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण किया गया है उक्त गाटा में कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा हैं। उक्त भूमि में कुक्कट पालन व मत्स्य पालन व बागवानी के प्रयोग में नहीं आ रही हैं जिसे अकृषिक हेतु प्रख्यापन किये जाने हेतु सम्प्रेषित की गयी हैं।संलग्न जोत चकबन्दी आकार पत्र 41–45 के अनुसार प्रश्नगत भूमि सुरक्षित भूमि नही है एवं किसी योजना में प्रस्तावित नही है। प्रार्थी द्वारा राजस्व संहिता–2016 के नियमावली 85 के अन्तर्गत धारा 80 के उपधारा (2) के अनुसार प्रार्थी द्वारा मु0 44252/– भारतीय स्टेट बैंक, खैर में चालान सं0 के–131252 के द्वारा दि0 09.06.2017 को जमा किये जा चुके है जिसका चालान पत्रावली पर संलग्न है। मौके पर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु निर्माण है जिससे धारा 80(4) के कम में कोई सार्वजनिक न्यूसेन्स होने की सम्भवना नही है एवं सार्वजनिक व्यवस्था ,सार्वजनिक स्वास्थ्य ,सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की सम्भावना नही है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं तहसीलदार खैर की आख्या दि0 08.06.2017 के आधार पर ग्राम सुजानपुर के खाता सं0 685 गाटा सं0 544अ रकवा 2.064है0 लगानी 18.95 रूपये मे से 0.962है0 भूमि भूमि को व्यवसायिक प्रयोजन हेतु प्रख्यापित किया जाता हैं। परवाना अमलदरामद दो प्रतियों में तहसीलदार खैर को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद हेतु भेजी जाये। वाद अवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जायें।

दिनांकः– 12.6.17

(पी0डी0गुप्ता)
उप जिलाधिकारी,खैर।

3-7-17
4/7/17
4/7/17